दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग - 2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

शुक्रवार, 6 मार्च, 1998/ फागुन 15, 1919 (शक)

संख्या : 374

1. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की प्रथम विधान सभा के 15वें सत्र का प्रारम्भ.

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की प्रथम विधान सभा का 15वाँ सत्र सोमवार दिनांक 23 मार्च, 1998 को पूर्वान्ह 11-00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में प्रारम्भ होगा । माननीय उप-राज्यपाल माननीय सदस्यों को संबोधित करेंगे ।

2. 15वें सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिए दिनों का आबंटन

कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थाई तौर पर दिनांक 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 मार्च, 1998 और 1, 2, 3, 6 और 7 अप्रैल, 1998 के लिए निर्धारित की गई हैं ।

3. विधान सभा की बैठकों का समय

23 मार्च, 1998 को जबकि माननीय उप-राज्यपाल महोदय माननीय सदस्यों को पूर्वान्ह 11-00 बजे संबोधित करेंगे, । जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा आदेश न दें, विधान सभा की बैठक 2-00 बजे अपराह्न आरंभ होगी और तब तक चलेगी जब तक कि उसे उस दिन के लिए स्थगित न कर दिया जाये ।

4. प्रश्नों के नोटिस एवं बैलेट

विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन विषयक नियम-33 के अधीन समस्त माननीय सदस्यों को प्रश्नों की सूचनाएं भेजते समय स्पष्ट रूप से कम से कम 12 दिन का समय देना आवश्यक है । नियम-36 के अंतर्गत सदस्य अल्प सूचना प्रश्न, तारांकित प्रश्न तथा अतारांकित प्रश्न सहित एक दिन के लिए केवल पाँच प्रश्नों की सूचना दे सकते हैं । यदि कोई सदस्य एक दिन के लिए पाँच से ज्यादा प्रश्नों की सूचनाएँ देता है तो उनकी पहली पाँच सूचनाएँ स्वीकृत की जायेंगी और बाकी सूचनाएं अस्वीकृत समझी जायेंगी ।

5. पन्द्रहवें सत्र के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिनों का आबंटन (नियम-37)

मंत्रियों द्वारा पन्द्रहवें सत्र में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर

देने के लिए निम्नानुसार दिनों का निर्धारण किया गया है :-

क्रम संख्या	विभाग	बैठक की तिथि	कालम-2 में दर्शाये गये विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की अंतिम तिथि	मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेटिंग की तिथि
1.	प्रशासनिक सुधार, सामान्य प्रशासन, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, सतर्कता, श्रम, उच्च शिक्षा.	24-3-98	11-3-98 अप.3 बजे तक	11-3-98 अप. 5 बजे
		31-3-98	18-3-98 अप.3 बजे तक	18-3-98 अप. 5 बजे
		7-4-98	24-3-98 अप.3 बजे तक	24-3-98 अप.5 बजे
2.	गृह, राजस्व, योजना, सहकारिता, खाद्य अपमिश्रण, कारागार, सेवाएँ, परिवहन, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य.	25-3-98	12-3-98 अप. 3 बजे तक	12-3-98 अप. 5 बजे
		1-4-98	19-3-98 अप. 3 बजे तक	19-3-98 अप. 5 बजे
3.	खाद्य एवं संभरण, जन-संपर्क, बिक्री कर, गुरूद्वारा चुनाव, वित्त, शहरी विकास.	26-3-98	12-3-98 अप. 3 बजे तक	12-3-98 अप. 5 बजे
		2-4-98	19-3-98 अप. 3 बजे तक	19-3-98 अप. 5 बजे
4.	भूमि एवं भवन, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, उद्योग, भाषा, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण.	27-3-98	16-3-98 अप. 3बजे तक	16-3-98 अप. 5 बजे
		3-4-98	20-3-98 अप. 3 बजे तक	20-3-98 अप. 5 बजे
5.	आबकारी, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन, विकास, पर्यटन, चुनाव, रोज़गार, विधि एवं न्याय, समाज कल्याण.	30-3-98	17-3-98 अप. 3 बजे तक	17-3-98 अप. 5 बजे
		6-4-1998	23-3-98 अप. 3 बजे तक	23-3-98 अप. 5 बजे

टिप्पणी :-

1. पन्द्रहवें सत्र के लिये प्रश्नों की सूचनाएं तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जायेंगी।

2. सदस्य एक दिन में तारांकित, अतारांकित प्रश्नों सहित केवल पांच प्रश्नों की सूचना दे सकते हैं ।

3. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि यदि विभिन्न विभागों (कालम-3 एवं 4 के अनुसार) से संबंधित किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त होती है तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जायेंगी । सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराह्न 3.00 बजे तक है ।

4. जहां प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाये, वहां ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचार की कतरन नत्थी करना आवश्यक है । ऐसे जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जायेंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

5. प्रश्नों को संयुक्त केवल उसी स्थिति में किया जायेगा, जब एक से अधिक सदस्य एक ही तरह के विषयों से संबंधित प्रश्नों की सूचना देते हैं । बाद में प्राप्त की गई सूचनाएं, यदि मूल रूप में एक ही विषय अथवा मामले से संबंधित हों तो उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा । (नियम-31(7)).

6. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत अवश्य दें । यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय प्रश्नों की सूचना प्राप्त होने के समय के अनुसार किया जायेगा ।

7. प्रश्नों की बैलेटिंग प्रत्येक के समक्ष दर्शायी गई तिथियों को सचिव के कक्ष में अपराह्न 5.00 बजे होगी । सदस्यों से अनुरोध है कि बैलेटिंग के लिये नियत किये गये दिनों पर प्रश्नों की सूचना की बैलेटिंग को देखने का कष्ट करें ।

8. सदस्यगण कृपया यह भी ध्यान रखें कि चूंकि दिल्ली नगर निगम का विधिवत् गठन हो चुका है इसलिये इसके दैनिक प्रशासन और कार्यकलापों से संबंधित सूचनाएं न दी जाएं । ऐसे प्रश्न नियम 31(xiii) के अन्तर्गत अस्वीकृत कर दिये जायेंगे ।

(7) नियम 287 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 31 मार्च,1995 के समाचार भाग-2 के माध्यम से नियम 287 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाने हेतु प्रक्रिया संबंधी निर्देश जारी किये थे । जो माननीय सदस्य नियम 287 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते हैं, वे प्रस्तावित विषय की सूचना उसी दिन पूर्वाह्न 11·00 बजे तक दे सकते हैं । प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11·15 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी । माननीय सदस्यों से बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाता है ।

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 10-15 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय मूल पाठ से न हटें । विषय केवल एक ही विभाग एवं मुद्दे से संबंधित होना चाहिए जिसके लिये दिल्ली सरकार उत्तरदायी है ।

(8) गैर सरकारी सदस्यों के कार्य:

माननीय अध्यक्ष ने गैर सरकारी सदस्यों के कार्य हेतु निम्न प्रकार से तिथियों का आबंटन किया है :-

(क) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक : शुक्रवार, 27 मार्च, 1998 को होने वाली सदन की बैठक की तिथि अस्थायी तौर पर गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए आबंटित की गई है । गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की सूचनाएं 11 मार्च, 1998 को अपराह्न 3·00 बजे तक प्राप्त की जायेंगी । यदि आवश्यक हो तो, प्राथमिकता हेतु बैलेटिंग सचिव के कमरे में 11 मार्च, 1998 को अपराह्न 5·00 बजे की जायेगी। सम्मानित सदस्यों का बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्वागत है ।

(ख) गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प : शुक्रवार 3 अप्रैल,1998 को होने वाली बैठक की तिथि अस्थायी तौर पर गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये आबंटित की गई है । गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूचनाएं 18 मार्च,1998 को अपराह्न 3·00 बजे तक प्राप्त की जायेगी । केवल तीन संकल्पों की सूचनाओं की बैलेटिंग सचिव, विधान सभा के कमरे में 18 मार्च,1998 को 5·00 बजे होगी । सम्मानित सदस्यों का बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्वागत है ।

(9) सूचनाओं की प्रक्रिया

(क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के नियम 265 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्न प्रकार से है -

(1) "प्रत्येक सूचना जिसकी नियमों के अन्तर्गत आवश्यकता हो, सचिव को सम्बोधित करके या लिखित रूप में दी जायेगी और वह उनके कार्यालय में कार्यकाल के भीतर दी जायेगी ।

(2) जब तक नियमों में अन्यथा उपबंध न हो, सूचना जो कार्यालय में उपर्युक्त नियम में दिये गये समय के उपरांत अन्य समयों में प्राप्त हो, वह अगले दिन खुलने वाले दिन प्राप्त हुई समझी जायेगी ।"

(ख) सूचना देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान सभा के सूचना कार्यालय में जमा कराना चाहिए ।

(ग) विधान सभा के सूचना कार्यालय में दी गई सभी सूचनाओं पर तिथि की मुहर और सूचना प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है ।

§घ§ विधान सभा सूचना कार्यालय सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिये उत्तरदायी है । अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा के किसी अन्य अधिकारी/शाखा को दें । यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा ।

§ङ•§ विधान सभा सूचना कार्यालय द्वारा सूचनाओं को प्राप्त करने के लिये विनिर्दिष्ट समय उनके लिये उल्लिखित तिथियों को प्रातः 9•30 बजे से अपराह्न 3•00 बजे के बीच है । सूचना कार्यालय में अपराह्न 3•00 बजे के बाद दी गई सूचनाओं को अगले कार्य दिवस को प्रातः 9•30 बजे दिया गया माना जायेगा । इसका अभिप्राय सदस्यों को डाक द्वारा सचिव को संबोधित सूचनाएं भेजने की सुविधा से वंचित करना नहीं है ।

§10§ दर्शक दीर्घा प्रवेश-पत्र

सदस्यों का ध्यान दर्शक दीर्घा में प्रवेश संबंधी विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 291 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों की ओर आकर्षित किया जाता है । इसके साथ-साथ निर्देशों में व्यवस्था है कि दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने के आवेदन पत्र, जिस दिन के लिये प्रवेश पत्र चाहिये, उस दिन से पूर्व एक कार्य दिवस को अपराह्न 5•00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जायें । उदाहरणार्थ 23•3•98 को होने वाली सदन की बैठक के लिये दर्शक दीर्घा के लिए आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् दिनांक 20•3•1998 §21 एवं 22 मार्च,1998 अवकाश होने के कारण§ को अपराह्न 5•00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे । इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिये आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जायेगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किये जायेंगे ।

दर्शक दीर्घा में बैठने के सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश-पत्र जारी नहीं किये जायेंगे ।

दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र सामान्यतया उसी दिन जारी नहीं किये जायेंगे ।

टिप्पणी: सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों को दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र जारी करें, जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भांति जानते हों ।

(।।) सदन में उचित अनुशासन बनाये रखने के उद्देश्य से सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदन में सेलुलर टेलीफोन, पेजर्स अथवा वैद्युत उपकरण (इलैक्ट्रानिक गैजेट) आदि लेकर न आयें । यदि उनके पास इस प्रकार के उपकरण हों तो वे कृपया यह सुनिश्चित करें कि जब वे सदन में हों तो ऐसे उपकरणों का स्विच बन्द रखें ।

टिप्पणी:

समय और व्यवस्थित ढंग से सदन के कार्य निष्पादन के उद्देश्य से माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने में अपना योगदान दें ।

सदस्यों का सहयोग प्रार्थनीय है ।

पी. एन. गुप्ता
सचिव

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

﴾पन्द्रहवां सत्र﴿

बैठकों का अस्थायी तिथि-पत्र

23 मार्च, 1998	सोमवार	उपराज्यपाल का अभिभाषण
24 मार्च, 1998	मंगलवार	सरकारी कार्य
25 मार्च, 1998	बुधवार	सरकारी कार्य
26 मार्च, 1998	वृहस्पतिवार	सरकारी कार्य
27 मार्च, 1998	शुक्रवार	गैर सरकारी कार्य ﴾विधेयक﴿
28 मार्च, 1998	शनिवार	अवकाश
29 मार्च, 1998	रविवार	अवकाश
30 मार्च, 1998	सोमवार	सरकारी कार्य
31 मार्च, 1998	मंगलवार	सरकारी कार्य
01 अप्रैल, 1998	बुधवार	सरकारी कार्य
02 अप्रैल, 1998	वृहस्पतिवार	सरकारी कार्य
03 अप्रैल, 1998	शुक्रवार	गैर सरकारी कार्य ﴾संकल्प﴿
04 अप्रैल, 1998	शनिवार	अवकाश
05 अप्रैल, 1998	रविवार	अवकाश
06 अप्रैल, 1998	सोमवार	सरकारी कार्य
07 अप्रैल, 1998	मंगलवार	सरकारी कार्य

....

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECREETARIAT

(BULLETIN PART - II)

(General Information relating to Legislative and Other matters)
Friday, March 06, 1998/Phalguna 15, 1919 (Saka)

No. 374

(1) **COMMENCEMENT OF THE FIFTEENTH SESSION OF THE FIRST LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI.**

Members are informed that the Fifteenth Session of the First Legislative Assembly of the Nacional Capital Terrtory of Delhi will commence on **Monday, the 23rd March, 1998 at 11.00 A.M** in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi. The Lt. Governor shall address the Members.

(2) **ALLOTMENT OF DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING FIFTEENTH SESSION.**

The sittings of the Legislative Assembly for the transaction of business have been tentatively fixed for 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 March, 1998 and 1, 2, 3, 6, and 7 April, 1998.

(3) **TIME OF SITTING OF LEGISLATIVE ASSEMBLY**

Except on 23rd March, 1998 when the Lt. Governor shall address the Members at 11.00 A.M., the sitting of the Legislative Assembly shall commence at 2.00 P.M. and continue till it is adjourned for the day, unless the Speaker directs otherwise.

(4) **NOTICES OF QUESTIONS AND HOLDING OF BALLOT**

Under Rule 33 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, not less than 12 days clear notice of questions is required to be given by the Members. Under Rule 36, the Members may give notice of only five questions in a day including Short Notice Questions,Starred Questions and Unstarred Questions. In case any Member gives notice of more than five questions on any day, his first five notices will be taken up and the remaining notices shall be deemed to have been rejected.

(5) ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE FIFTEENTH SESSION (RULE 37)

For the Fifteenth Session, the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been set out as under:-

S.No.	Departments	Date of sitting	Last Date for receipt of Question for the Department in Col.2	Date of holding ballot for determination of priority for oral answers
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Administrative Reforms, General Administration, Education, Technical Education, Vigilance, Labour Higher Education	24-3-98	11-3-98 upto 3-00 PM	11-3-98 at 5-00 PM
		31-3-98	18-3-98 upto 3-00 PM	18-3-98 at 5-00 PM
		7-4-98	24-3-98 upto 3-00 PM	24-3-98 at 5-00 PM
2.	Home, Revenue, Planning, Cooperative, Prevention of Food Adulteration, Jails, Services, Transport, Medical & Public Health	25-3-98	12-3-98 upto 3-00 PM	12-3-98 at 5-00 PM
		1-4-98	19-3-98 upto 3-00 PM	19-3-98 at 5-00 PM
3.	Food & Supplies, Public Relations, Sales Tax, Gurudwara Elections, Finance, Urban Development	26-3-98	12-3-98 upto 3-00 PM	12-3-98 at 5-00 PM
		2-4-98	19-3-98 upto 3-00 PM	19-3-98 at 5-00 PM
4.	Land & Building, Irrigation & Flood Control, Industries, Language, Welfare of SC/ST	27-3-98	16-3-98 upto 3-00 PM	16-3-98 at 5-00 PM
		3-4-98	20-3-98 upto 3-00 PM	20-3-98 at 5-00 PM
5.	Excise, Environment, Forest & Wild Life, Development, Tourism, Elections, Employment, Law & Justice, Social Welfare.	30-3-98	17-3-98 upto 3-00 PM	17-3-98 at 5-00 PM
		6-4-98	23-3-98 upto 3-00 PM	23-3-98 at 5-00 PM

NOTE: (i) Notices of Questions for the Fifteenth Session will be received with immediate effect.

(ii) A Member may give notices of upto five questions in a day including Starred and Unstarred Questions.

(iii) Member may kindly note that if notice of any question is received after the last date and time in respect of various departments vide Col.3 and 4 on pre-page, such a notice shall stand disallowed. The time for receipt of Notices shall be upto 3.00 P.M.

(iv) Where the question draws a reference to a news item published in a national or local daily, the question, in order to be admissible, must be accompanied by the relevant clipping of the news item. The questions not accompanied by relevant clippings are likely to be disallowed.

(v) The clubbing of questions will be done in case several notices of questions on the same subject matter are received. Notices of questions subsequently received and repeating in substance the same subject matter are liable to be disallowed (Rule 31 (vii).

(vi) Members are requested to iindicate clearly and legibly their priority in respect of question. If no priority is indicated, the same will be ecided according to the Rules.

(vii) Ballot will be held in the room of the Secretary at 5.00 PM on the dates indicated against each. Members are requested to kindly make it convenient to witness the balloting of notice of questions on the dates fixed for the purpose.

(viii) Members may kindly note that since the Municipal Corparation of Delhi has been duly constituted, notices of questions relating to its day to day administrati on and functioning may not be entertained. The same are liable

to be disallowed under Rule 31 (xiii).

(6) SPECIAL MENTIOS UNDER RULE 287

Hon'ble Speaker was pleased to issue vide Bulletin Part-II dated 31st March, 1995, directions regarding procedure for raising Special Mentions under Rule 287. Members who want to raise matters under Rule 287 may give notice of the same by 11.00 AM on he date the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretarry at 11.15 AM on each day. Hon'ble Members are requested to participate in the balloting.

Members are requested to confine the text of the Special Mention to 10-15 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. The matter should relate to only one Department and one issue and for which the Government of Delhi responsible.

(7) PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

The Hon'ble Speaker has been pleased to allot the sittings of the House for Private Members' Business as under:-

(a) PRIVATE MEMBERS' BILL - The sitting of the House to be held on Friday the 27th March, 1998 has tentatively been allotted for Private Members' Bills. The notice for Private Member's Bills will be received upto 3.00 PM on 11th March, 1998. The Balloting for inter-se priority, if required, will be held on 11th March, 1998 at 5.00 PM in the room of the Secretary. Members are welcome to participate in the Balloting.

(b) PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS - The sitting of the House to be held on Friday, 3rd April, 1998 has tentatively been allotted for Private Members' Resolutions. The notices of Private Members' Resolutions would be receiived upto 3.00 PM on 18th March, 1998. Balloting for only three Resolutions will be done in the room of the Secretary at

5.00 PM on the 18th March, 1998. All Hon'ble Members are welcome to participate in the Balloting.

(8) **PROCEDURE OF NOTICES**

(a) Kind attention of the Members is invited to Rule 265 of the Rules of Procedure and Conduct of Busiiness in the Legislative Assembly which reads as follows:-

" (1) Every notice required by the Rules shall be given in writing addressed to the Secreetary and shall be delivered in his office during working hours.

(2) Unless otherwise provided in these Rules, a notice received in the office at hours after those specified in the preceding sub-rule shall be treated as given on the next opening day."

(b) Every notice should be signed in ink by the Member giving the notice, indicating his division number and name in capital letters and should be deposited in the Assembly Notice office.

(c) All notices delivered in the Assembly Notice Office are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.

(d) The Assembly Notice Office is responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay. Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Member does so, it is not likely to be taken note of.

(e) The hours specified for the receipt of notices by the Assembly Notice Office are between 9.30 A.M. and 3.00 PM on the date mentioned for the same. Notices left at the Notice Office after 3.00 PM would be treated as having been received at 9.30

AM on the next working day. This is not intended to preclude the members from sending notices addressed to the Secretary by post.

(10) VISITORS GALLERY PASS

Attention of the Members is invited to the directions issued by Hon'ble Speaker underRule 291 of the Rules of Proceduree and Conduct of Business in the Legislative Assembly with regard to admission to the Visitors Gallery. The directions inter alia provided that application forms for the issue of Visitors Gallery Passes must be submitted by 5.00 PM on the working day previous to the date for which the Gallery Passes meant for sitting of the House on 23-3-98 will be accepted upto 5.00 PM on the earlier day i.e. 20-3-98 (21 and 22 March 1998 being holidays). Similarly,applications for Gallery Passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the Visitors Gallery beiing limited, not more than two Passes shall be issued to a Member for each sitting. No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

NOTE: Members are requested to recommend issue of Gallery Passes for those Visitors whose antecedents are well known to them.

(11) IN ORDER TO MAINTAIN PROPER DECORUM IN THE HOUSE ALL MEMBERS ARE REQUESTED NOT TO BRING CELLULAR PHONES, PAGERS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC. IN THE HOUSE. IF THEY ARE IN POSSESSION THEREOF THEY MAY KINDLY ENSURE THAT IT IS KEPT SWITCHED OFF WHILE THEY ARE IN THE HOUSE.

IN THE INTEREST OF TIMELY AND ORDERLY TRANSACTION OF BUSINESS OF THE HOUSE, HON'BLE MEMBERS ARE REQUESTED TO KINDLY COOPERATE IN MAINTAINING THE DIGNITY AND DECORUM OF THE HOUSE.

Kind cooperation of Members is solicited.

P.N. GUPTA
SECRETARY

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

(FIFTEENTH SESSION)

PROVISIONAL CALENDAR OF SITTING

23 MARCH, 1998	MONDAY	L.G. ADDRESS
24 MARCH, 1998	TUESDAY	GOVERNMENT BUSINESS
25 MARCH, 1998	WEDNESDAY	GOVERNMENT BUSINESS
26 MARCH, 1998	THURSDAY	GOVERNMENT BUSINESS
27 MARCH, 1998	FRIDAY	PRIVATE MEMBERS' BUSINESS (RESOLUTIONS)
28 MARCH, 1998	SATURDAY	HOLIDAY
29 MARCH, 1998	SUNDAY	HOLIDAY
30 MARCH, 1998	MONDAY	GOVERNMENT BUSINESS
31 MARCH, 1998	TUESDAY	GOVERNMENT BUSINESS
1 APRIL, 1998	WEDNESDAY	GOVERNMENT BUSINESS
2 APRIL, 1998	THURSDAY	GOVERNMENT BUSINESS
3 APRIL, 1998	FRIDAY	PRIVATE MEMBERS' BUSINESS (BILLS)
4 APRIL, 1998	SATURDAY	HOLIDAY
5 APRIL, 1998	SUNDAY	HOLIDAY
6 APRIL, 1998	MONDAY	GOVERNMENT BUSINESS
7 APRIL, 1998	TUESDAY	GOVERNMENT BUSINESS

* * *